Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to increase the honorarium of Aanganwadi workers

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्षा जी, धन्यवाद।

अध्यक्षा जी, मैं एक बार फिर से आँगनवाड़ी की सेविकाओं, सहायिकाओं एवं आशाओं का मुद्दा उठाना चाहती हूँ। एक महिला का दर्द दूसरी महिला में छिपा होता है। वे सभी यह उम्मीद करती हैं कि उनका यह मुद्दा सदन में तब तक उठता रहे, जब तक सेविकाओं, सहायिकाओं एवं आशाओं के लिए बजट में कुछ किया नहीं जाता है। उनको न्यूनतम मज़दूरी से भी कम राशि दी जाती है, जो कि उनका शोऐाण है। उनसे बार-बार यह कहा जाता है कि उनकी मज़दूरी को स्टेट बढ़ाए।

मैं पूछना चाहती हूँ कि जो गरीब स्टेट्स हैं, वे इसे कैसे बढ़ाएंगे? अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेंट्रल गवर्न्मेंट को कम से कम सेविकाओं, सहायिकाओं एवं आशाओं की न्यूनतम मज़दूरी को बढ़ाकर 10-12 हज़ार रुपये तक करना चाहिए। इसके बाद ही स्टेट्स को इस विऐाय पर कुछ करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : जिसे आप मज़दूरी कह रही हैं, वह मज़दूरी नहीं, मानदेय होता है। अब आप समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्षा जी, प्लीज़ मुझे आधा मिनट और दीजिए।

अध्यक्षा जी, उनके लिए पौऐिटक आहार की राशि 30 हज़ार रुपये होनी चाहिए। हम आशा को मात्र 600 रुपये देते हैं, जो कि परमानेन्ट नहीं है। हम उन्हें यह पैसा 9 महीने के बाद देते हैं। उन्हें अस्पतालों में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती है। मैं माँग करती हूँ कि इस बार के बजट में आशा की सेविकाओं, सहायिकाओं और आँगनवाड़ी की सेविकाओं, सहायिकाओं और आशाओं को दी जाने वाली तनख्वाह को न्यूनतम मज़दूरी से ज्यादा किया जाए। उनका स्वास्थ्य बीमा किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रमा देवी, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री राजीव सातव, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती भावना गवली (पाटील), श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री रवीद्र कुमार पाण्डेय एवं श्री संजय हरिभाऊ जाधव को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विऐाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।